टेण्डर फार्म वर्ष 2010-11

फार्म शुल्क रू0 100.00
फार्म जमा करने की अन्तिम तिथि 16.8.2010
समय : - 2:00 अपराह्न बजे

सेवा में,

राज्य परियोजना निदेशक,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्,
विद्या भवन, निशातगंज,
लखनऊ।

महोदय,

दैनिक समाचार पत्र ....में प्रकाशित विज्ञापन दिनांक ....के सन्दर्भ में अपना टैण्डर निम्नलिखित विवरण के अनुसार प्रस्तुत कर रहा हूँ।

तकनीकी भाव पत्र

क0सं0	आयकर प्रमाण पत्र/पैन नं0	अर्नेस्ट मनी धनराशि का विवरण	फार्म शुल्क धनराशि व दिनांक	वैट संख्या व प्रमाण पत्र	अन्य विवरण
1	2	3	4	5	7

वित्तीय आफर हेतु फार्म संलग्न है।

निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद् के पक्ष में रूपया 2,000/- (रूपया दो हजार मात्र) की धनराशि अर्नेस्टमनी के रूप में सावधि जमा/बैंक ड्राफ्ट संख्या................................ राष्ट्रीय बैंक का नाम..शाखा दिनांक......................के माध्यम से जमा कर रहा हूँ। मेरे द्वारा संबंधित शर्ते पूर्ण रूप से पढ़ एवं समझ ली है तथा यह शर्ते पूर्णतया मान्य है और मैं उसका पूरा पालन करूँगा।

दिनांक
दूरभाष संख्या
फैक्स नं0

भवदीय,

निर्माता /विक्रेता के हस्ताक्षर व मोहर
नाम...
हस्ताक्षर...
फर्म का पूरा पता......................................

राज्य परियोजना कार्यालय,
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्,
विद्या भवन, निशातगंज,
लखनऊ।

संख्या..दिनांक..

निविदा सूचना / शर्ते

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ में कोरियर सेवा हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती है। सीलबन्द निविदा दो भागों जिसमें प्रथम भाग में तकनीकी प्रस्ताव लिफाफा तथा द्वितीय भाग में वित्तीय प्रस्ताव के लिफाफे जिसके ऊपर क्रमशः तकनीकी तथा वित्तीय प्रस्ताव निविदा वर्ष 2010-11 लिखा होगा इन दोनो लिफाफो को एक लिफाफे में रखकर सीलबन्द राज्य परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश, विद्या भवन, लखनऊ को निम्न दर्शाये गये दिनांक एवं शर्तो के अधीन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हैः-

1. तकनीकी/वित्तीय प्रस्ताव दो-दो प्रतियों में अलग-अलग कवर के साथ तथा संबंधित प्रपत्रों सहित दिनांक 16.8.2010 को 1:00 बजे तक राज्य परियोजना कार्यालय, उ0प्र0 लखनऊ में प्राप्त किया जायेगा।
2. यदि तकनीकी प्रस्ताव एवं वित्तीय प्रस्ताव दो-दो प्रतियों में नहीं दिया जाता है तो उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा । तकनीकी प्रस्ताव लिफाफे दिनांक 16.8.2010 को 3:00 बजे बजे खोला जायेगा तथा तकनीकी रूप से अर्ह पाये गये प्रस्तावों से संबंधित वित्तीय प्रस्ताव संबंधित लिफाफे दिनांक 17.8.2010 को अपराह्न 3:00 बजे बजे खोला जायेगा।
3. समस्त के मूल्य पर जहाँ देय है, केवल नियमानुसार वैट आदि फर्म द्वारा देय होगा।
4. टेण्डर फार्म में वजन एवं दूरी के हिसाब से लखनऊ जनपद में 12 घंटे के अन्दर उ0प्र0 के अन्य जनपदों में 24 घंटे के अन्दर एवं राज्य से बाहर 36 घंटे में कोरियर पहुंचाना होगा।
5. निर्धारित समय के अन्दर पत्र पहुंचाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में आदेश आंशिक या पूर्ण रूप से निरस्त किया जा सकता है। विलम्ब का समुचित

कारण न पाये जाने पर संबंधित फर्म की जमानत राशि जब्त किये जाने की कार्यवाही की जा सकती है।

6. निविदा प्रस्तुत करने के इच्छुक प्रत्येक निविदादाता से फार्म हेतु निविदा शुल्क के रूप में रू0 100/- नगद लिया जायेगा जिसकी रसीद संबंधित फर्म को दी जायेगी।

7. स्वीकृत निविदादाताओं से नियमानुसार प्रतिभूति ली जायेगी।

8. निदेशक को समस्त या किसी एक निविदा को बिना किसी कारण बताये निरस्त करने का अधिकार रहेगा।

9. व्यापार कर रजिस्ट्रेशन संख्या का निविदा में उल्लेख होना आवश्यक है। वर्तमान रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की प्रतिलिपि संलग्न की जाये।

10. निविदा बाक्स राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ में रखा है जिसमें सभी निविदायें निर्धारित समय-सीमा के अन्तर्गत डाली जायेगी, निविदा दस्ती प्राप्त नहीं की जायेगी।

11. निविदा में दी गयी दरों में से जो दरें स्वीकृत की जायेंगी, वे दरें दिनांक से (एक वर्ष) तक प्रभावी रहेगी। यदि कोई निविदादाता निविदा में अंकित दरों पर कार्य करने में असमर्थ पाया गया तो उसका नाम काली सूची में डाल दिया जायेगा तथा भविष्य में उसकी कोई भी निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी ।

12. स्वीकृत फर्म को उसी दर पर कार्य करना होगा जो दरें निविदा में अंकित होगी ।

13. राज्य परियोजना निदेशक द्वारा नामित/अधिकारियों की समिति न्यूनतम मूल्य के आधार पर सामग्रियों की दरों की संस्तुति करेगी।

14. निविदा की अन्तिम तिथि के उपरान्त किसी भी प्रकार का पत्राचार मान्य नहीं होगा ।

15. निविदादाता को निविदा के साथ राष्ट्रीयकृत बैंक का रू0 2,000/- का पे-आर्डर/बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा राज्य परियोजना निदेशक, उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्, के पदनाम से अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा करना अनिवार्य है।

16. टेक्निकल प्रस्ताव के साथ निविदादाताओं को रू0 100/- फार्म शुल्क रसीद की छायाप्रति व रू0 2,000/- अर्नेस्ट मनी धनराशि तथा निर्माता/विक्रेता/वैट/पंजीकरण प्रमाण पत्र हस्ताक्षरित निविदा शर्ते आदि के साथ संलग्न किया जाना है।

17. वित्तीय प्रस्ताव से संबंधित लिफाफे में केवल कोरियर के रेट दो प्रतियों में निविदादाताओं द्वारा दिया जाना अनिवार्य है।

18. निविदादाता निर्धारित प्रारूप पर दी गयी स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही दरें/रेट उल्लिखित करेंगें।

19. निविदादाता अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार अपने-अपने फर्म के पैड अथवा वित्तीय प्रस्ताव के टेण्डर फार्म पर निर्धारित प्रारूप पर दी गयी स्पेसीफिकेशन के अनुसार ही दरें/रेट उल्लिखित कर सकते है। इन प्रपत्रों पर उनके द्वारा हस्ताक्षर कर मोहर लगाया जाना अनिवार्य होगा। **(निविदा प्रपत्र)**

20. निविदादाता को सरकारी विभागों में कार्य का अनुभव हो तथा प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

21. निविदादाता से यह अपेक्षा की जाती है कि वे निविदा प्रपत्र निर्देशों/शर्तो आदि का भलीभाँति परीक्षण कर ले। आवश्यक शर्ते/प्रपत्र आदि पूर्ण करने की जिम्मेदारी निविदादाता की ही होगी।

22. निविदा भरने व जमा करने पर होने वाले समस्त व्यय निविदादाता द्वारा ही वहन किया जायेगा।

23. निविदा में पत्राचार हेतु हिन्दी व अग्रेंजी भाषा मान्य होगी।

24. निविदा स्वीकार होने पर कोरियर द्वारा प्राप्ति रसीद राज्य परियोजना कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य है।

25. कोरियर पहुंचने में एक दिन से अधिक विलम्ब होने पर 10 प्रतिशत की दर से बिल की धनराशि में कटौती की जायेगी।

26. तकनीकी भाव पत्र के साथ निम्नलिखित साक्ष्यों/प्रपत्रों की छाया प्रतियाँ संलग्न की जानी आवश्यक है एवं उन पर निविदादाता के भी हस्ताक्षर होना चाहिए।
   - (अ) निविदा धरोहर धनराशि बैंक ड्राफ्ट/सावधि जमा (निविदा दाता द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये जायेगें।)
   - (ब) अनुभव प्रमाण पत्र एवं वर्तमान में किये जा रहे कार्यो का संक्षिप्त विवरण।
   - (स) निविदा शर्तो को हस्ताक्षरित कर तकनीकी भाव पत्र के साथ।
   - (द) व्यापार कर पंजीयन संबंधी प्रमाण पत्र तथा क्लियरेन्स प्रमाण पत्र।
   - (य) अद्यतन आयकर प्रमाण पत्र/पैन नंबर।

27. किसी भी दशा में निर्धारित तिथि एवं समय के बाद निविदा प्रपत्र न तो बेचे जायेगे और न ही प्राप्त किये जायेगें। डाक से मॅगायी गयी एवं भिजवायी गयी निविदायें विलम्ब से प्राप्त होने पर कार्यालय किसी भी दशा में उत्तरदायी नहीं होगा।

28. निविदायें निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा नामित समिति द्वारा निर्धारित तिथि व समय पर उपस्थित लिविदादाताओं अथवा **उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के** समक्ष खोली जायेगी।

29. निविदादाता को अपने डाक का पता, फोन व फैक्स नं0 लिखित रूप में देना होगा। उस पते पर डाक द्वारा भेजी गयी सूचना/निर्देश निविदादाता को मिला हुआ माना जायेगा। निविदादाता द्वारा पते में परिवर्तन की सूचना अविलम्ब इस कार्यालय को देनी होगी।

30. निविदादाता चाहें तो निविदा खुलते समय उपस्थित रह सकते है।

31. दरों पर कटिंग, अपलेखन वर्जित है। यदि कही कटिंग या अपलेखन है तो टेण्डरदाता द्वारा पूर्ण हस्ताक्षर से सत्यापित किया जाये।

32. किसी भी विवाद की दशा में निदेशक, राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ का फैसला अन्तिम होगा व दोनो/समस्त पक्षों को मान्य होगा।

33. चयनित निविदा दाता को संलग्न अनुबन्ध पत्र रू0 100/- मात्र के स्टैम्प पेपर पर उपलब्ध कराना होगा। निविदा में केवल वही संस्थाएं प्रतिभाग करें जिन्हें अनुबन्ध पत्र के शर्ते मान्य होगीं अनुबन्ध प्रारूप का पत्र संलग्न है।

34. वित्तीय दरें संलग्न प्रारूप में देना अनिवार्य होगा

(बिनोद सिंह)
प्रशासनिक अधिकारी
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद्,
विद्या भवन, निशातगंज,
लखनऊ

वित्तीय आफर का प्रारूप

1. For Inter City A. Upto 100gms B. Upto 250gms C Each Add.2.50gms D Upto 500gms E. 501-1000gms F. Upto 1 kg G Above 1.5 kg perkg H. Upto 1 Kg to 3 kg I. Every Add. per kg. J. Cargo above 5 kg K. Next 500gm add.					
2. Uttar Pradesh A. Upto 100gms B. Upto 250gms C. Each Add. 250 gms D. Upto 500gms E. 501-1000gms F. Upto 1 Kg G. Above 1.5 kg per kg H. Upto 1kg to 3 kg I. Every Add. per kg. J. Cargo above 5 kg					
3. Rest of India A. Upto 100gms B. Upto 250gms C. Each Add. 250 gms D. Upto 500gms E. 501-1000gms F. Upto 1 Kg G. Above 1.5 kg per kg H. Upto 1kg to 3 kg I. Every Add. per kg. J. Cargo above 5 kg					